

संख्या-2086/15-7-07-18(98)/2007

प्रेषक

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ दिनांक: 09 जनवरी, 2008

विषय :- सी०बी०एस० पब्लिक स्कूल सिविल लाइन, गोरा बाजार, रायबरेली को सी०बी० एस० ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस० ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य पत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

PRINCIPAL

G.B.S. Public School
Gora Bazar Civil Line

Manager & Secretary
G.B.S. Public School
Gorabazar, Civil Lines,
Raibareilly

D.A.V. ACADEMY

Manager & Secretary
G.B.S. Public School

- (6) कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव !

प्रसंख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली ।
- 4- निरीक्षक, आन्ध्र भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, जी०बी०एस० मल्लिक स्कूल सिविल लाइन्स, मोरा बाजार, रायबरेली ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव ।

PRINCIPAL
G.B.S. Public School
Gora Bazar Civil Lines
Raebareilly

प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
डी०एच०ई०एल० जगदीशपुर
सुल्तानपुर - 227611

PRINCIPAL
D.A.V. ACADEMY
Tanda - Ambedkar Nagar

Manager & Secretary
G.B.S. Public School
Gorabazar, Civil Lines,
Raebareilly

Manager & Secretary
G.B.S. Public School
Gorabazar, Civil Lines,
Raebareilly